



**Central Pollution Control Board**  
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)  
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,  
Delhi – 110032.

No.C-35011/01/2016-Admn.(P)/

the 24<sup>th</sup> November, 2016

**CIRCULAR**

The validity of the Identity Cards issued to most of the employees has been expired. New Identity Cards have been prepared with a validity of five years. It has been proposed to issue Identity Cards to all the employees of CPCB (five years validity) including TS/Adhoc/Consolidate Salary Paid/JRF/SRF/ RA/Outsource employees (one year validity).

It is mandatory for all the employees to display the Identity Card during office hours. Entry will be restricted to those having Identity Card. Those who do not have Identity Card will have to get the entry pass from the reception.

This is being issued with the approval of the Competent Authority, CPCB.

**(R.D. Pandey)**  
**Administrative Officer (P)**

Distribution :-

1. All the Divisional Heads at Head Office : With a request to circulate it among the employees working under them.
2. All the Zonal Incharges : With a request to take similar step.
3. Incharge, IT Division CPCB, Delhi. : With a request to up-load it on CPCB Intra-portal.
4. Incharge Building Division : To instruct the Security to strictly adhere to the instructions.
5. All Notice Boards



**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर  
दिल्ली - 110032

संख्या सी-35011/01/2016/प्रशासन(कार्मिक) 548

दिनांक 24.11.2016

**परिपत्र**

लगभग सभी कर्मचारियों को जारी किये गए पहचान पत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी है। नए पहचान पत्र पाँच साल की अवधि के लिए बनाए जा चुके हैं। यह प्रस्ताव है कि सभी नियमित कर्मचारियों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पहचान पत्र जारी किये जाए और सभी अस्थाई / तदर्थ / समेकित वेतन /जे.आर.एफ./ एस.आर.एफ./ आर.ए./ आउटसोर्स कर्मचारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।

कार्यालय समय के दौरान सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य है। प्रवेश केवल पहचान पत्र धारकों को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पहचान पत्र न होने की स्थिति में कर्मचारी को स्वागत कक्ष से गेट पास लेना होगा।

यह परिपत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आर. डी. पांडे)

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

वितरण:-

1. सभी प्रभाग प्रभारी, के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली कृपया इसे अपने अधिन्स्थ कर्मचारियों में प्रचलित करें।
2. सभी प्रभारी आंचलिक कार्यालय, के.प्र.नि.बो., कृपया ऐसा ही कदम उठाये।
3. प्रभारी सूचना प्रौद्योगिकी कृपया इसे सीपीसीबी की वैबसाइट पर अपलोड कर दें।
4. प्रभारी भवन प्रभाग कृपया सुरक्षा कर्मचारियों को उचित निर्देश दें।
5. सभी सूचनापट्ट